338

संख्याः–149/ ।।–2013–04(04)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार ढ़ौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून, दिनांक 22 फरवरी, 2013

विषयः **ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–4219/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 19.01.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ–कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रसंख्या FNo. 41(1)/PF-1/2012-1240, दिनांक 17.01.2013 द्वारा 28 सं0 निर्माणाधीन योजनाओं हेतु केन्द्रांश ₹ 1061.14 लाख एवं 40 सं0 निर्माणाधीन योजनाओं हेतु ₹ 5561.37 लाख अर्थात् कुल स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 6622.51 लाख तथा स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश ₹ 735.83 लाख अर्थात् कुल धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश) ₹ 7358.34 लाख (₹ तिहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजनाओं का विवरण	योजनाओं की लागत	निर्धारित केन्द्रांश एवं राज्यांश		अब तक कुल व्यय धनराशि (माह 12/2012 तक)		अवशेष		अवमुक्त की जा रही धनराशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निर्माणाधीन योजनायें										
1	28 सं0 योजनायें	4010.06	3609.05	401.01	2430.00	270.00	1179.05	131.01	1061.14	117.90
2	40 सं0 योजनायें	15225.06	13702.55	1522.51	7523.25	733.32	6179.30	789.19	5561.37	617.93
कुल योग		19235.12	17311.60	1923.52	9953.25	1003.32	7358.35	920.20	6622.51	735.83
कुल योग (केन्द्रांश + राज्यांश)									7358.34	

(i) धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

(ii) योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

(iv) अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

क्रमशः.....2

(v) कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

(vi) आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

(vii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

(ix) एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(x) कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(xi) योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों एवं स्वीकृति के साथ दिये गये प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–20 व 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों/उपशीर्षकों के अन्तर्गत 24–वृहत निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 963/XXVII(2)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्याः–149(1)/ II–2013–04(04)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. गार्ड फ़ाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः–149(1)/ ।।–2013–04(04)/2011 दिनांक 22/2/13 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0 व लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	अनुदान सं0–20 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0195 ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य	16000.00	1829.05	7078.03
2	अनुदान सं0–30 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई नहरों की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0101 ए0आई0बी0पी0 योजना में नहर निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य	4060.00	5.70	280.31
	योग	20060.00	1834.75	7358.34

(₹ तिहत्तर करोड़ अट्ठावन लाख चौतीस हजार मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।